संख्या-4/2015/928/11-3-15-89/15

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 24 अगस्त,2015

विषयः- श्रीमती अनुश्री पाण्डेय, सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्य कर की राज्य सरकार के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स्था-1-पी0एफ0-श्रीमती अनुश्री पाण्डेय सां0अधि0/2014-15/1032/वाणिज्य कर, दिनांक 26-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती अनुश्री पाण्डेय, सांख्यिकीय अधिकारी के द्वारा वाणिज्य कर विभाग में दिनांक 08-05-2014 को योगदान करने से पूर्व उ0प्र0 राज्य सरकार के अधीन अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर दिनांक 07-11-2003 से 07-05-2014 की अपरान्ह् तक की गयी सेवा को वर्तमान सेवा के साथ मात्र सेवा नैवृत्तिक लाभ हेतु सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-370 के अधीन इस शर्त के साथ जोडे ़जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि श्रीमती अनुश्री पाण्डेय की सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई भिन्न नियम प्रभावी होते हैं, तो यथासमय उन्ही नियमों के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

2. श्रीमती पाण्डेय की सेवा पुस्तिका मूल रूप में संलग्न कर वापस की जा रही है।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-सा-3-यू0ओ0 837/-दस-2015, दिनांक 14 अगस्त 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से किया जा रहा है।

संलग्नकः ः यथोक्त।

भवदीय

धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

संख्या-928(1)/11-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8 वां तल, इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ
3- श्रीमती अनुश्री पाण्डेय, सांख्यिकीय अधिकारी (संख्या), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।